

भारत सरकार
परमाणु ऊर्जा विभाग
06.08.2015 को राज्य सभा में
पूछा जाने वाला अतारांकित प्रश्न संख्या : 1925

जैतापुर परमाणु शक्ति संयंत्र को चालू किया जाना

1925. श्री अजय संचेती:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या जैतापुर परमाणु शक्ति परियोजना के क्रियान्वयन के लिए एक उपयुक्त व्यावसायिक मॉडल बनाने के लिए प्रौद्योगिकी और वाणिज्य से संबंधित समझौते को पूरा किया जा चुका है, यदि हाँ, तो इसकी क्या विशेषताएँ हैं;
- (ख) क्या इस संयंत्र को चालू करने के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (ग) जहां तक परियोजना से प्रभावित लोगों के पुनर्वास और पुनर्स्थापन का संबंध है, तो इसकी वर्तमान स्थिति क्या है?

उत्तर

राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन तथा प्रधान मंत्री कार्यालय (डॉ. जितेन्द्र सिंह):

- (क) जैतापुर नाभिकीय विद्युत परियोजना के क्रियान्वयन के लिए उपयुक्त व्यावसायिक मॉडल विकसित करने पर न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनपीसीआईएल) एवं फ्रांस की मैसर्स अरेवा के बीच कई बार बातचीत हो चुकी है। इन बातचीतों में, परियोजना के तकनीकी एवं वाणिज्यिक दोनों पहलुओं को शामिल किया गया है। परियोजना क्रियान्वयन की समयावधि, इन बातचीतों के निष्कर्ष पर निर्भर करेगी।
- (ख) जैसाकि सरकार द्वारा घोषणा की गई है, जैतापुर के परियोजना-प्रभावित व्यक्तियों (पीएपी) के पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना (आर एंड आर) हेतु एक करार क्रियान्वयन के अधीन है। 30 जून, 2015 तक की स्थिति के अनुसार, 2336 खातेदारों (हकदारों) में से 1773 परियोजना-प्रभावित व्यक्तियों (पीएपीज) ने मुआवजे की राशि स्वीकार कर ली है, तथा 1753 व्यक्तियों ने अतिरिक्त मुआवजा प्राप्त कर लिया है। इसके अतिरिक्त, 431 परियोजना-प्रभावित व्यक्तियों (पीएपीज) को, प्रत्यक्ष नियोजन के बदले में, पुनर्वास तथा पुनर्स्थापना के अंतर्गत बनाए गए उपबंधों के अनुरूप प्रति व्यक्ति पांच (5) लाख रुपए की राशि की मंजूरी दी गई है। करार में शामिल अन्य कार्यों को भी हाथ में लिया गया है।
